318

संख्या–2079/XIX-1/15–87/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषयः– मसूरी बाई पास मार्ग, जिला देहरादून में खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1812/आ0ले0शा0/2015–16, दिनांक–30.10.2015 के सन्दर्भ में व्यय वित्त समिति उत्तराखण्ड द्वारा योजना के आगणन की धनराशि लागत रू0 745.17 लाख (रू0 सात करोड़ पैंतालिस लाख सत्रह हजार मात्र) हेतु दिये गये अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मसूरी बाई पास मार्ग, जिला देहरादून में खाद्यायुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन के सापेक्ष औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0–564.14 लाख के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त भवन के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0–50.00 लाख (रू0–पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धें के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

2– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

4– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

5– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

7– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक–30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

8– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व uttarakhand procurement rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9– उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य के आगणन पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग यह भी सुनिश्चित कर ले कि यदि शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक–19.10.2010 के दिशा निर्देशों के क्रम में उक्त कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है तो प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि प्रथम चरण के अन्तर्गत स्वीकृत राश में बचत है तो उसे द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित कर लिया जाये।

10– उपरोक्त के अतिरिक्त आगणन में प्राविधानित धनराशि रू0–181.03 लाख के कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त आगणन में 5.06 प्रतिशत सर्विस टैक्स की धनराशि को आगणन की औचित्यपूर्ण धनराशि में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11– उक्त भवन निर्माण हेतु मृदा परीक्षण के लिए रू0 12.50 लाख एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण हेतु रू0 20.56 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त धनराशि के व्यय/बचत के सम्बन्ध में भी नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12– वर्तमान परिदृश्य में Energy Efficient Buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवन में Energy Efficient Buildings के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय।

13– Energy Efficient भवन का निर्माण किया जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata Energy Research Institute द्वारा जारी Guide Line/Representative Designs of Energy Efficient Buildings in India का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

14– सौर ऊर्जा के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय यथा–सोलर गीजर आदि। साथ ही Water Harvesting का समुचित प्राविधान किया जाय।

15– निर्माण सामग्री यथा–Bricks, Cement, Steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप NABL Laboratory से करा लिया जाय।

16– Electrical Items जैसे–Switches, Wires, MCB, MCCB, AC आदि। Plumbing Items जैसे–Bath Fittings, Geyser, Water Tank, Pipes, Toilet Items, Wood Items आदि की मार्केट सर्वे कर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय कर पूर्व में ही Brand name निर्धारित कर लिया जाय।

17– इस योजना हेतु पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि को प्रस्तावित योजना में शासनादेशों के अनुरूप समायोजित कर लिया जाय।

2– इस सम्बन्ध में, होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–4408–खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय, 01–खाद्य–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–खाद्यायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–2079(1)/ XIX-1 / 15–87 / 2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महोलखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–05 / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।